बिहार विधान-सभा वादवृत ।

(भाग 1—कार्यवाही-प्रश्नोत्तर ।)

सोमवार, तिथि 26 जुलाई 1976।

विषय सूची ।

	पृष्ठ ।
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
अल्पसूचित प्रश्नोत्तर संख्या 96, 97, 98, 99	1—10
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या 407, 408, 783, 1642, 2099, 2100, 2103, 2115, 2124, 2126, 2127, 2129, 2132, 2146, 2147, 2149, 2155, 2159, 2161, 2166, 2180।	10—40
परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर)	41—68
दैनिक निबन्ध	69-70

टिप्पणी--जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है उनके नाम के आगे (*) चिन्ह लगा दिया गया है ।

श्री राम जयपाल सिंह यादव—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है। परन्तु प्लाट नं० 2255 नहीं, बल्कि 2555 है जिसका रकबा 70 बिगहा, 17 कट्ठा 17 धूर है।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है। उक्त जमीन में से केवल 33 एकड़ 19 डी० जमीन भूतपूर्व जमीन्दार श्री ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह, श्री रामतनिक सिंह एवं श्री बच्चा प्रसाद सिंह के कब्जे में है क्योंकि यह जमीन उनके तौजी की जमीन है जिसे बकास्त के रूप में आबाद करते आ रहे हैं।

(3) इस संबंध में अंचलाधिकारी को आवश्यक छानबीन करने के लिये निदेश दे दिया गया है। विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आगे की कारंवाई की जायगी।

अतिक्रमण किया गया रास्ता के सम्बन्ध में

2102. श्री रामचरित्र राय यादव—क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत शाहपुर पटोरी अंचल के रामचन्द्रपुर दशहरा एवं बेरी बिसनपुर के श्री कपिलदेव सिंह, पिता का नाम श्री जगदीश सिंह, श्री राम विलास सिंह पिता का नाम श्री अमीर सिंह एवं श्री प्रदुम्न नारायण सिंह श्री तृपित नारायण सिंह ने गैरमजरुआ जमीन, जिसमें आम रास्ता है, अतिक्रमण कर लिया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त अंचल की जनता अतिक्रमण हटाने के संबंध में दिनांक 9 जनवरी 1975 को एक आवेदन-पत्र राजस्व मंत्री को दिया था;

(3) क्या यह बात सही है कि भूमि सुधार समाहर्त्ता, समस्तीपुर के पत्रांक 415, दिनांक 16 फरवरी 1976 द्वारा अंचलाधिकारी, शाहपुर पटोरी को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो आम रास्ता से अतिक्रमण हटाने के संबंध में अब तक कोई कारंवाई की गई है, यदि नहीं तो क्यों?

श्री राम जयपाल सिंह यादव—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(3) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(4) दिनांक 30 जून 1976 तक अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था परन्तु अपर समाहर्त्ता, समस्तीपुर से अनुपालन प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है।